समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, चण्डीगढ़ प्रशासन

सहयोग

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

चण्डीगढ़ प्रशासन
CHANDIGARH ADMINISTRATION

SAHYOG

Social Assistance and Help for Your Overall Guidance

महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के लिए कल्याणकारी योजनाएं।

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग,
चण्डीगढ़ प्रशासन

महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएँ 1-8

1. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ।
2. सखी वन स्टॉप सेंटर।
3. महिला हेल्पलाइन ।
4. सखी निवास।
5. शक्ति सदन।
6. विधवाओं और बेसहारा महिलाओं को पेंशन।
7. शगुन योजना।
8. समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष ऋण योजना।
9. स्वावलंबन योजना।

बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

1. आंगनवाड़ी-सह-क्रेच केंद्र ।
2. बाल हेल्पलाइन।
3. स्पॉन्सरशिप योजना।
4. बच्चा गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया।
5. वात्सल्य पालना।
6. परवरिश योजना।
7. विधवाओं और बेसहारा महिलाओं के आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता ।
8. हमारी बेटी।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

25-27

1. एल्डर लाइन ।
2. वृद्धावस्था पेंशन ।
3. वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र ।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

28-36

1. दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन ।
2. दिव्यांग व्यक्तियों को पेट्रोल/डीजल पर सब्सिडी ।
3. दिव्यांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता ।
4. सहायक उपकरणों की खरीद के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता।
5. दिव्यांगजनों के लिए ऋण योजनाएं।
6. सहायक यंत्रों /उपकरणों की खरीद/ फिटिंग के लिए एडिप योजना ।
7. विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र ।

अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

37-44

1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए हेल्पलाइन ।
2. अनुसूचित जातियों के लिए ऋण योजना।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऋण योजना ।
4. अल्पसंख्यकों के लिए ऋण योजना ।
5. सफाई कर्मचारियों के लिए ऋण योजना ।
6. सफाई कर्मचारियों के बच्चों को नकद पुरस्कार ।
7. अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन।
8. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना ।

ट्रांसजेंडर के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

45-46

- ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन
- अलग शौचालय का प्रावधान।
- फीस माफ़।
- छात्रावास आदि में कन्सेशनल भोजन का प्रावधान।

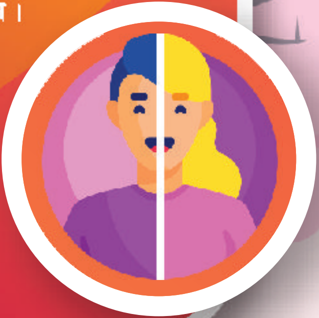

संस्थाओ के महत्वपूर्ण संपर्क विवरण

47-52

विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न संस्थान।

महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

"18 वर्ष और 7 माह से 55 वर्ष तक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पहले जीवित जन्म और दुसरे जीवित जन्म यदि लड़की है उनके लिए एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।"

पात्रता मानदंडः

लाभार्थी को निम्नलिखित में से कम से कम एक मानदंड को पूरा करना चाहिएः

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाएं।
- 40% या उससे अधिक दिव्यांग महिलाएं।
- बी.पी.एल. राशन कार्ड धारक महिलाएं।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) की लाभार्थी महिलाएं।
- ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं।
- किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिला किसान।
- मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं।
- जिनका परिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से कम हो।
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड धारक महिलाएं।
- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कोई श्रेणी।

आर्थिक सहायता:

- **पहले बच्चे के लिए:**
  ₹ 5,000/- का लाभ दो किश्तों में ।
  ₹ 3,000/- ए.एन.सी. (गर्भावस्था जांच) के बाद।
  ₹ 2,000/- बच्चे के जन्म और 14 सप्ताह के टीकाकरण के बाद।

- **दूसरे बच्चे (यदि लड़की है) के लिए:**
  ₹ 6,000/- की राशि बच्चे के जन्म और 14 सप्ताह के टीकाकरण के बाद।

आवश्यक दस्तावेज:

- आधार कार्ड (बैंक/डाकघर खाता विवरण के साथ लिंक हो)।
- मोबाइल नंबर।
- पात्रता का प्रमाण।
- एम.सी.पी./आर.सी.एच.आई. कार्ड।
- एल.एम.पी. (आखिरी मासिक धर्म) की तिथि।
- ए.एन.सी. (गर्भावस्था जांच) की तिथि।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
- बच्चे के टीकाकरण का विवरण।

अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में संपर्क करे या हेल्पलाइन Call Toll-Free 1800-1800-2244 का उपयोग करें।

सखी

वन स्टॉप सेंटर, चण्डीगढ़

नारी निकेतन परिसर, सैक्टर 26, चण्डीगढ़

फोन नंबर - 0172-2793026, मोबाइलः 8699997840 | ई-मेल sakhichd@gmail.com

सखी-वन स्टॉप सेंटर (ओ.एस.सी.) सार्वजनिक और निजी स्थानों पर हुई हिंसा से प्रभावित सभी महिलाओं को उनकी जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौन अभिविन्यास या वैवाहिक स्थिति के बावजूद, एक छत के नीचे बचाव और रेफरल सेवा प्रदान करता है।

सखी में उपलब्ध सेवाएं :

- आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं।
- चिकित्सा सहयोग
- एफ.आई.आर/डी.डी.आर दर्ज कराने में सहयोग।
- साइको सोशल सपोर्ट/ परामर्श सेवाएं।
- कानूनी सहायता एवं परामर्श।
- अस्थायी आश्रय।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा।

महिलाएं निम्नलिखित परिस्थितियों में सखी-वन स्टॉप सेंटर से संपर्क कर सकती हैं:

- छेड़-छाड़।
- यौन अपराध/ उत्पीड़न।
- घरेलू हिंसा।
- एसिड अटैक।
- महिला तस्करी (ट्रैफिकिंग)।
- बाल विवाह ।
- साइबर उत्पीड़न।
- दहेज उत्पीड़न।
- अन्य अपराध।
- बाल यौन शोषण।

सूचना की गोपनीयता बनाये रखी जाएगी।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

महिला 181 हेल्पलाइन

महिला हेल्पलाइन 181 टोल फ्री 24/7

सम्पर्क करें

- जब कोई भी महिला सुरक्षा की जरूरत महसूस करे।
- जब तनाव महसूस करे।
- यदि घरेलू हिंसा एवं दुर्व्यवहार से पीड़ित हो।
- यदि वैवाहिक झगड़े से परेशान हो।
- यदि छेड़छाड़ का शिकार हुई हो।
- यदि परिवार द्वारा छोड़ दिए गया हो।
- यदि महिला यौन शोषण की शिकार हुई हो।
- यदि महिला को आश्रय की ज़रूरत हो ।
- यदि पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने में सहायता चाहती हो।

एकीकृत 112

1098 CHILD HELPLINE

अन्य सेवाऐं जो महिलाओं से सम्बंधित हो ।

- परामर्श सेवाएं।
- कानूनी सहायता एवं परामर्श।
- महिलाओं से सम्बंधित सरकारी कार्यक्रमों/ योजनाओं एवं सेवाओं पर जानकारी।

सूचना की गोपनीयता बनाये रखी जाएगी ।

हेल्पलाइन नं.: 181, 99150-23456 | दिन – रात सेवा

शक्ति सदन, सेक्टर 43, चंडीगढ़
(Shakti Sadan, Sector 43, Chandigarh)

कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही महिलाओं एवं तस्करी की गई महिलाओं के लिए शक्ति सदन की सुविधा उपलब्ध है। शक्ति सदन में महिलाओं को आश्रय, भोजन, कपड़े, परामर्श, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य दैनिक आवश्यकताएं प्रदान की जाती है। निवासियों को संबंधित विभागों की योजनाओं के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण, बैंक खाते खोलने की सुविधा दी जाती है। शक्ति सदन में महिलाओं को जन धन योजना के अंतर्गत पांच सौ रुपए महीना भी दिया जाता है।

सखी निवास (कार्यरत महिला छात्रावास), सेक्टर-23-बी व 24-बी, चंडीगढ़
Sakhi Niwas (Working Women Hostel), Sector 23-B & 24-B, Chandigarh

यह छात्रावास काम काजी महिलाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाली छात्राओं को आवास उपलब्ध कराता है। छात्रावास की कुल क्षमता सेक्टर 23बी में 40, तथा सेक्टर 24बी में 52 सीटों की है। यहाँ के बोर्डिंग और लॉजिंग शुल्क छात्रों और सेवा वर्ग के लिए किफायती हैं। छात्रावास का भोजन गृह (मैस) स्वयं निवासियों द्वारा सहकारी आधार पर संचालित किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

एडीशनल टाउन हॉल बील्डिंग, तीसरी मंजिल, सैक्टर 17-सी, चण्डीगढ़

महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

क्रमांक	योजना	आवश्यक दस्तावेज़	पात्रता मापदंड	वित्तीय सहायता
1	विधवाओं और बेसहारा महिलाओं को पेंशन। **Pension to Widows & Destitute Women**	• दो पासपोर्ट साइज फोटो आवेदक के नाम पर तीन साल पुराना पासपोर्ट, टेलीफोन (बी.एस.एन.एल लैंड लाइन) बिल, चुनाव आयोग का फोटो पहचान पत्र, राशनकार्ड, मकान आवंटन पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। • भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड 3 साल पुराना /ई-आधार पत्र की कॉपी। • जन्मतिथि दस्तावेज प्रमाण पत्र (नगर प्राधिकरण या अन्य अधिकृत कार्यालय द्वारा जारी स्कूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पैनकार्ड आयु मूल्यांकन प्रमाण पत्र, पी.एम.ओ. सेक्टर 16 /32 सरकारी अस्पताल /औषधि द्वारा जारी वरिष्ठ नागरिक कार्ड इत्यादि।	• परिवार की आय ₹ 12,500/- प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। • आवेदक यू. टी. चंडीगढ़ में पिछले तीन साल से रहता होना चाहिए। • 18 - 60 साल की आयु वर्ष में विधवा महिला जैसे अपने पति के निधन के बाद निर्वाह के पर्याप्त साधनों के बिना छोड़ दिया गया है।	• ₹ 1000/- प्रति लाभार्थी।

संपर्क केन्द्रों पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

क्रमांक	योजना	आवश्यक दस्तावेज़	पात्रता मापदंड	वित्तीय सहायता
2	शगुन योजना **Shagun Scheme**	• आवेदक यू.टी. चंडीगढ़ का तीन साल से निवासी होना चाहिए। (*पात्रता मानदंड की यह शर्त बाल देखभाल संस्थान, आफ्टर केयर होम और नारी निकेतन में रहने वाली लड़कियों पर लागू नहीं होती है। हालांकि उन्हें लगातार तीन साल तक घर में रहना चाहिए।) • यह योजना केवल महिलाओं के लिए लागू है। • विवाह की तिथि पर महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। • पुनर्विवाह के मामले में, आवेदक को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र या सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जहां आवेदक/ महिला के पति को मृत घोषित कर दिया गया हो	• समाज कल्याण विभाग में पेंशन ले रही विधवाओं की पुत्रियां या पेंशन धारक निराश्रित महिला या उनके पुनर्विवाह के लिए । • विकलांगता पेंशन धारक महिलाओं की बेटियों के लिए । • बाल देखभाल संस्थानों, आफ्टर केयर होम और नारी निकेतन (सेक्टर 26) में कम से कम तीन साल रहने वाली लड़कियों / महिलाओं के लिए । • अंत्योदय योजना में पंजीकृत परिवार की बेटियों / महिलाओं के लिए। • पंजीकृत महिला स्ट्रीट वेंडर/पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों की बेटियाँ। • चंडीगढ़ प्रशासन के विभागों में आउटसोर्स पर काम करने वाली महिला सफाई कर्मचारी की बेटियों के लिए।	• ₹ 31000/- ₹ 11,000/- शादी से पहले । • ₹ 20,000/- विवाह पंजीकृत होने के बाद।

क्रमांक	योजना	आवश्यक दस्तावेज़	पात्रता मापदंड	वित्तीय सहायता
3	समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष ऋण योजनाः **Direct loan scheme for women belonging to weaker sections of society**	• निवास प्रमाण (चुनाव आयोग फोटो पहचान पत्र/राशन कार्ड/बिजली बिल आदि)। • आधार कार्ड की प्रति । • ₹ 50,000/- से अधिक की ऋण राशि के लिए सरकारी कर्मचारी की जमानत आवश्यक है। • आवेदक की चार पासपोर्ट आकार की तस्वीरें। • पोस्ट डेटेड बैंक चेक। • संबंधित बैंक से एनओसी। • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।	• समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाएं। • आयु सीमा 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए। • परिवार का केवल एक सदस्य ही ऋण प्राप्त कर सकता है। • आवेदक यू.टी. चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए।	• ऋण अधिकतम ₹ 75,000/- तक की राशि के लिए बहुत मामूली ब्याज दर, 4% - 6% तक प्रदान किया जाता है
4	स्वावलंबन योजना **Swavalamban Scheme**	• आय प्रमाण पत्र/शपथ पत्र। • एक पासपोर्ट आकार का फोटो। • योग्यता (कंप्यूटर कोर्स के लिए न्यूनतम 10वीं कक्षा और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 5वीं कक्षा)।	• समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं । • आवेदक यू. टी. चंडीगढ़ में पिछले तीन साल से रहता होना चाहिए।	• डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर (कंप्यूटर कोर्स) • स्व-कर्मचारी दर्जी कोर्स (कटिंग और टेलरिंग) • ब्यूटी थेरेपिस्ट कोर्स • होम केयर नर्सिंग कोर्स (रोटरी क्लब मिडटाउन, चंडीगढ़)

बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

आंगनवाड़ी-सह-क्रेच केंद्र
Anganwadi-cum-Creche Centre

चंडीगढ़ में 450 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं, जिनमे से 200 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच केंद्र हैं। इन केन्द्रो में गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों (जन्म से 6 वर्ष), के लिए मिलने वाली मुख्य सुविधाएं/लाभ निम्नलिखित हैं

- पूरक पोषण (SUPPLEMENTARY NUTRITION)
- प्री-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा (PRE-SCHOOL NONFORMAL EDUCATION)
- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (NUTRITION & HEALTH EDUCATION)
- टीकाकरण (IMMUNIZATION)
- स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल (HEALTH CHECKUP & REFFERAL)

आंगनवाड़ी का समय : प्रत्येक सोमवार से शनिवार सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक ।

क्रेच का समय : प्रत्येक सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक ।

गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को मिलने वाली सुविधाएं/लाभ

पूरक पोषण और अतिरिक्त आहार

आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण (टी.एच.आर.) के रूप में भुना हुआ गेहूँ का दलिया, प्रीमिक्स खिचड़ी प्रतिवर्ष 300 दिनों के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त भुना चना, रागी पोषक बर्फी (प्रत्येक सप्ताह में 3 बार) उपलब्ध करवाई जाती है।

पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा

आंगनवाड़ी केन्द्रो पर नियमित आधार पर गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषित आहार, स्वच्छता, बाल देखभाल और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करवाई जाती है।

पोषण सदस्यता योजना

एक विशेष पहल के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में रक्त की कमी और अनीमिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ के द्वारा परामर्श दिया जाना और समय-समय पर लाभार्थियों के रक्त स्तर की जांच करवाना शामिल है।

प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर जांच एवं देखभाल

ANM के साथ मिलकर गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है।

औषधीय सहायता

स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के साथ मिलकर आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाती है।

पोषण हेल्पलाइन (180018002244)

स्वास्थ्य विशेषज्ञ के द्वारा (प्रत्येक शुक्रवार प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक) पोषण हेल्पलाइन नंबर पर, स्वास्थ्य सलाह के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य समस्या से संबंधित जानकारी ले सकता है।

जन्म से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं / लाभ

पूरक पोषण और अतिरिक्त आहार

टेक-होम राशन (THR) के रूप में प्रतिवर्ष 300 दिनों के लिए, 6 माह से 3 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए टेक-होम राशन और 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पका हुआ भोजन आंगनवाड़ी में प्रदान किया जाता है ।

पूरक पोषण आहार के अतिरिक्त बच्चों को मिलने वाली सामग्री

क्र.सं	सामग्री का नाम	श्रेणी/आयु वर्ग
1	दूध	(06 महीने से 6 वर्ष के बच्चे), गंभीर रूप से कुपोषित (SAM) और मध्यम रूप से कुपोषित (MAM), कम वजन तथा कम ऊंचाई वाले बच्चों के लिए
2	केला	06 महीने से 6 वर्ष बच्चों के लिए
3	अंडा	06 महीने से 6 वर्ष बच्चों के लिए
4	चिड़वा नमकीन	गंभीर रूप से कुपोषित (SAM) और मध्यम रूप से कुपोषित (MAM), कम वजन तथा कम ऊंचाई वाले बच्चों के लिए (3 वर्ष से 6 वर्ष आयु)
5	भुना चना	गंभीर रूप से कुपोषित (SAM) और मध्यम रूप से कुपोषित (MAM), कम वजन तथा कम ऊंचाई वाले बच्चों के लिए (3 वर्ष से 6 वर्ष आयु)
6	रागी पोषक बर्फी	गंभीर रूप से कुपोषित (SAM) और मध्यम रूप से कुपोषित (MAM), कम वजन तथा कम ऊंचाई वाले बच्चों के लिए (3 वर्ष से 6 वर्ष आयु)

विकास निगरानी

- आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रत्येक माह बच्चों का वजन और लंबाई मापी जाती है।
- कुपोषित बच्चों की विशेष देखभाल की जाती है।
- सही पोषण और आवश्यक सलाह देकर बच्चों की सेहत में सुधार किया जाता है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुपोषित बच्चे की निगरानी तब तक करती हैं, जब तक वह पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाता।

बच्चों को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा

- माता-पिता को पौष्टिक खाना बनाने और उसे सुरक्षित रखने के तरीके सिखाए जाते हैं।
- बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाव की जानकारी माता - पिता को प्रदान की जाती है।
- बच्चों को खेल-खेल में रंग, आकार और गिनती सिखाई जाती है।
- प्रत्येक माह की 15 तारीख को ECCE दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करना है।
- सही पोषण देकर बच्चों को कुपोषण से बचाया जाता है।

टीकाकरण

- बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को टीकाकरण अभियान चलाया जाता है।
- यह अभियान स्वास्थ्य विभाग की मदद से सभी 450 आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित किया जाता है।

रेफरल सेवाएँ

स्वास्थ्य जांच और विकास निगरानी के दौरान, बीमार या कुपोषित बच्चों को, जिन्हें तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप-केंद्र में भेजा जाता हैं।

आंगनवाड़ी वर्दी (3 से 6 वर्ष आयु के बच्चे)

3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु वर्ग के आंगनवाड़ी आने वाले बच्चों को गर्मी और सर्दी के अनुसार वर्दी और जूते भी उपलब्ध करवाए जाते हैं।

औषधीय सहायता

आयुर्वेदिक औषधियां आवश्यकता के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा प्रदान की जाती हैं।

आंगनवाड़ी का समय : प्रत्येक सोमवार से शनिवार सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक।

क्रेच का समय : प्रत्येक सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक।

- महीने के हर दूसरे शनिवार को आँगनवाड़ी सह क्रेच में छुट्टी होती है। -

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

आंगनवाड़ी-सह-क्रेच केंद्र की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर क्लिक करें।

https://chdsw.gov.in/

पोषण हेल्पलाइन

Call Toll-Free

1800-1800-2244

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

POSHAN Abhiyaan
PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment
सही पोषण - देश रोशन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

INTERNATIONAL YEAR OF MILLETS 2023

चण्डीगढ़ प्रशासन
CHANDIGARH ADMINISTRATION

पोषण हेल्पलाइन
POSHAN HELPLINE

1800-1800-2244
टोल फ्री नंबर पर कॉल करें।

अब अपने स्वास्थ्य सम्बंधित प्रश्न सीधे

पी.जी.आई.एम.ई.आर., जी.एम.सी.एच.-32, जी.एम.एस.एच.-16
और आयुष विभाग के विशेषज्ञों से पूछें।

समय : प्रत्येक शुक्रवार सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ।

कॉल बुक करवाने हेतु संपर्क करें।
सोमवार से शुक्रवार (सभी कार्य दिवसों पर)
सुबह 9:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक

यह सुविधा किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करवाने वाली माताओं तथा जन्म से 6 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए उपलब्ध है ।

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

बाल हेल्पलाइन 1098

चण्डीगढ़ प्रशासन
CHANDIGARH ADMINISTRATION

बाल हेल्पलाइन-1098
CHILD HELPLINE-1098

24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन है जो संकट में फंसे बच्चों की सहायता के लिए समर्पित है।

- गुमशुदा, अनाथ, लावारिस और बेघर बच्चों की जानकारी दर्ज करना और जरूरत पड़ने पर बाल देखभाल संस्थानों में आश्रय उपलब्ध कराना।
- शैक्षिक संस्थानो में प्रवेश से संबन्धित समस्याएँ और बच्चों या स्कूल के कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करना।
- आक्रामकता, चिंता, या तनाव जैसी व्यवहार संबंधी समस्याओं से जूझ रहे बच्चों के लिए परामर्श प्रदान करना।
- यौन शोषण या उत्पीड़न के मामलों में संकट हस्तक्षेप, रिपोर्टिंग और POCSO अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- भीख मांगने और मजदूरी करने वाले बच्चों की सूचना दर्ज करना।
- बच्चे को गोद लेने की जानकारी उपलब्ध करवाना।
- दिव्यांग बच्चे से संबंधित योजनाओ की जानकारी देना।
- बाल केन्द्रित योजनाओं की जानकारी देना।

सूचना की गोपनीयता बनाये रखी जाएगी

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें : ई-मेलः 1098chlchd@gmail.com

स्पॉन्सरशिप योजना
Sponsorship Scheme

स्पॉन्सरशिप योजना के तहत उन परिवारों के लिए पूरक सहायता का प्रावधान किया गया है जिन्हें अपने बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

वित्तीय सहायता

बच्चों को उनकी चिकित्सा, शैक्षिक और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति माह ₹ 4000/- प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का लाभ 18 वर्ष की आयु तक दिया जाता है।

पात्रता मापदंड

- बच्चा चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए।
- विधवा या तलाकशुदा माता के बच्चे।
- वे बच्चे जो अनाथ हैं और विस्तारित परिवार के साथ रह रहे हैं।
- ऐसे माता-पिता के बच्चे जो खतरनाक/ ला-इलाज बीमारी से ग्रसित हैं।
- आर्थिक और शारीरिक रूप से बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ माता-पिता के बच्चे।
- जे.जे. अधिनियम, 2015 के अनुसार देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे, जिनके पास घर नहीं है, किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार, बाल श्रम, बाल विवाह के शिकार, तस्करी के शिकार बच्चे, एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित बच्चे, विकलांग बच्चे, भागे हुए बच्चे, भिखारी या सड़क पर रहने वाले बच्चे।
- पी.एम. केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के तहत लाभार्थी बच्चे।
- अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 96,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कहां आवेदन करें:

जिला बाल संरक्षण इकाई, स्नेहालय बिल्डिंग, प्रथम तल, मलोया, यू.टी. चंडीगढ़, संपर्क नंबर-0172-2643654

बच्चा गोद लेना एक कानूनी प्रक्रिया है
CHILD ADOPTION IS A LEGAL PROCESS

किसी भी व्यक्ति, दंपत्ति, सौतेले माता - पिता व रिश्तेदारों को बच्चा गोद लेने के लिए भारत सरकार के कैरिंग्स पोर्टल - **carings.wcd.gov.in** पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।

इन संस्थानों से बच्चा गोद लेना गैर कानूनी है:-

- ☞ नर्सिंग होम
- ☞ मैटरनिटी होम
- ☞ अस्पताल
- ☞ अवैध संस्थान
- ☞ दलालों या बिचौलियों के द्वारा

गैर कानूनी तौर पर बच्चा गोद लेने या खरीदने पर **3-5 साल तक की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना** हो सकता है।

सूचना एवं जानकारी के लिये सम्पर्क करें:-

TOLL FREE NO. OF CARA
1800111311

District Child Protection Unit
0172-2643654

राज दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण
State Adoption Resource Agency
under the aegis of Department of Social Welfare, Women & Child Development, Chandigarh Administration

वात्सल्य पालना- *बच्चों का सुरक्षित परित्याग*
Vatsalya Palna - Safe Abandonment of Children

अपनी विवशता को सही जानकारी से हराएँ,
अनचाहे शिशु को छोड़ने के लिए कचरा या नाली नहीं वात्सल्य पालना अपनाएं
और क़ानूनी कार्यवाही से खुद को बचाएं।

कोई भी व्यक्ति जो अपने नवजात शिशु की देखभाल नहीं करना चाहता या देखभाल करने में असमर्थ है और इस वजह से बच्चे को छोड़ना चाहता है तो वह निम्नलिखित वात्सल्य पालना में सुरक्षित रूप से बच्चे को छोड़ सकता है:-

- चिल्ड्रन होम स्नेहालय फॉर बॉयज, मलोया, चंडीगढ़।
- चिल्ड्रन होम स्नेहालय फॉर गर्ल्स, सेक्टर 15, चंडीगढ़।
- नारी निकेतन, सेक्टर 26, चंडीगढ़।

छोड़े गए बच्चे को भारत सरकार के गोद लेने के नियमों के अनुसार गोद दिया जाएगा।

बच्चे को वात्सल्य पालना में डालने वाले व्यक्ति पर किसी भी तरह की क़ानूनी कार्यवाही नहीं की जाती है।

परवरिश योजना के तहत लाभार्थियों की श्रेणियाँ:

- कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चे या वे बच्चे जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है और जीवित अभिभावक ने बच्चे को छोड़ दिया है ।
- कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चे जो अभिभावकों/विस्तारित परिवारों के साथ रह रहे हैं
- वे बच्चे जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है और जीवित अभिभावक /विस्तारित परिवार के साथ रह रहे हैं।
- कोविड पॉजिटिव बच्चे।

योजना के अंतर्गत शामिल लाभः

- **वित्तीय सहायताः** 18 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चे को ₹ 5000/- की वित्तीय सहायता ।
- यदि बच्चा 18 वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ देता है और 21 वर्ष की आयु तक बेरोजगार रहता है तो उसकी ₹ 5000/- की वित्तीय सहायता जारी रखी जाएगी।
- कोविड पॉजिटिव बच्चों को उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 03 महीने तक ₹ 2500/- प्रति माह दिए जाएंगे।

- **शैक्षिक लाभः** सरकारी स्कूलों में कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पर्याप्त वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- 1 वर्ष तक के अल्पकालिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने वाले युवाओं को ₹ 25,000/- तक की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- स्नातक या समकक्ष 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले युवाओं को ₹ 50,000/- तक की सहायता प्रदान की जाएगी। व्यावसायिक डिग्री प्राप्त करने वाले युवाओं को ₹ 1,00,000/- तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
- **अन्य लाभः** बच्चों को परामर्श और मनोवैज्ञानिक देखभाल प्रदान करना।

पात्रता मापदंड:

• यह योजना यू.टी. चंडीगढ़ के निवासियों के लिए स्वीकार्य होगी, बशर्ते कि माता-पिता का निवास प्रमाण के रूप में आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आई.डी./बिजली बिल आदि प्रस्तुत किया जाए।

• बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयु जन्म प्रमाण पत्र या अंतिम बार उपस्थित किसी शैक्षणिक/तकनीकी संस्थान के प्रमुख से प्रमाण पत्र के आधार पर स्थापित की जाएगी। यदि किसी बच्चे के पास कोई वैध आयु प्रमाण नहीं है, तो बच्चे की आयु किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

• माता-पिता दोनों की मृत्यु का कारण कोविड होना चाहिए, जो मृत्यु प्रमाण पत्र या माता-पिता के कोविड पॉजिटिव होने के प्रमाण के आधार पर स्थापित किया जाएगा, जो उनकी मृत्यु से 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

• वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए (केवल श्रेणी- III के लिए लागू)

कहां आवेदन करें:

- जिला बाल संरक्षण इकाई, स्नेहालय बिल्डिंग, प्रथम तल, मलोया, यू.टी. चंडीगढ़।
- संपर्क नंबर- 0172- 2643654

हमारी बेटी (Hamari Beti)

आवश्यक दस्तावेजः

- चंडीगढ़ का वैध निवास प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली/टेलीफोन बिल, या बैंक पासबुक)।
- संस्थागत प्रसव के संबंध में अस्पताल द्वारा जारी डिस्चार्ज स्लिप।
- बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्राथमिक गृहस्थ राशन कार्ड या अन्य कोई प्रमाण।

पात्रता मानदंडः

- बच्ची के माता-पिता/अभिभावक को बच्ची के जन्म की तारीख से कम से कम छह महीने तक चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए।
- लाभ का दावा बच्ची के जन्म की तारीख से छह महीने के भीतर किया जा सकता है।
- अधिकतम दो जीवित बच्चियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- बच्ची किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की समान योजना के तहत शामिल नहीं होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख से कम हो।
- नियमित सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

आर्थिक सहायताः

- ₹ 40,000/- की राशि बच्ची के नाम पर और कार्यक्रम अधिकारी के साथ संयुक्त खाते में निवेश की जाएगी।
- खाता पांच वर्षों के लिए निवेशित रहेगा और 18 वर्षों की अवधि तक इसे बढ़ाया जाएगा।
- निवेश राशि की परिपक्वता होने पर (म्याच्योरिटी) लड़की को राशि एक किश्त में जारी की जाएगी, यदिः
  - वह 18 वर्ष की हो चुकी हो।
  - उसने 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
  - वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हो।

अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में संपर्क करे या

हेल्पलाइन *Call Toll-Free* **1800-1800-2244**

(सभी कार्य दिवस पर, समय 10:00 AM से 5:00 PM)

बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

क्रमांक	योजना	आवश्यक दस्तावेज़	पात्रता मापदंड	वित्तीय सहायता
1	विधवाओं और बेसहारा महिलाओं के आश्रित बच्चों को पेंशन। Financial Assistance to Dependent Children of Widows & Destitute Women	• आश्रित बच्चों की माता की विधवा पेंशन की स्वीकृति आदेश की आवश्यक है। • बच्चों के जन्म तिथि का दस्तावेज प्रमाण पत्र। • बच्चों व माता की संयुक्त फोटो।	• विधवाओं और बेसहारा महिलाओं के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनकी माताएं समाज कल्याण विभाग से पेंशन प्राप्त कर रही हैं।	• ₹ 1000/- प्रति लाभार्थी (एक परिवार में दो बच्चों तक)

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

एल्डर लाइन

NATIONAL HELPLINE FOR SENIOR CITIZENS

Call Toll-Free

14567

जानकारी

वृद्धाश्रम, केयर गिवर, गतिविधि केंद्र आदि पर जानकारी।

सहायता

दुर्व्यवहार से पीड़ित तथा त्यागे गये बुजुर्गों की सहायता ।

कानूनी मार्गदर्शन

कानूनी और पेंशन सम्बंधित मुद्दों पर मार्गदर्शन।

भावनात्मक सहारा

भावनात्मक सहारे के लिए एल्डर लाइन 14567 पर संपर्क करें।

प्रातः 8:00 से सायं 8:00 तक

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

एडीशनल टाउन हॉल बील्डिंग, तीसरी मंजिल, सैक्टर 17-सी, चण्डीगढ़

ई-मेलः sch14567chandigarh@gmail.com

वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाएँ

क्रमांक	योजना	आवश्यक दस्तावेज़	पात्रता मापदंड	वित्तीय सहायता
1	वृद्धावस्था पेंशन **Old age Pension**	• दो पासपोर्ट साइज फोटो • यू.टी., चंडीगढ़ का तीन साल का निवास प्रमाण पत्र (चुनाव आयोग फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, मकान आवंटन पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफ़ोन लैंडलाइन बिल) • आधार कार्ड • जन्मतिथि का दस्तावेजी प्रमाण • आधार से जुड़ी बैंक पासबुक	• आवेदक की मासिक पारिवारिक आय सालाना ₹ 1.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। • 3 साल से ज़्यादा समय से यू.टी., चंडीगढ़ का निवासी हो। आयु 60 वर्ष और उससे ज़्यादा हो।	• ₹ 1000/- प्रति माह
2	वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र **Senior Citizen Identification Card**	• पहचान प्रमाण फोटो। • निवास प्रमाण। • जन्म तिथि प्रमाण।	• आवेदक की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। • आवेदक चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए।	

संपर्क केन्द्रों पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

दिव्यांगजनो के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

क्रमांक	योजना	आवश्यक दस्तावेज़	पात्रता मापदंड	वित्तीय सहायता
1	दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन (दिव्यांगजन) **Pension to Person with Disabilities (Divyangjan)**	• विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID)। • दो पासपोर्ट साइज फोटो। • यू.टी., चंडीगढ़ का तीन साल का निवास प्रमाण पत्र (चुनाव आयोग फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, मकान आवंटन पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफ़ोन लैंडलाइन बिल)। • आधार कार्ड। • जन्मतिथि का दस्तावेजी प्रमाण (जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, पी.एम.ओ. (प्रधान चिकित्सा अधिकारी), सेक्टर 16/32/ पी.जी.आई. से आयु मूल्यांकन प्रमाण पत्र / सरकारी अस्पताल / औषधालय, वरिष्ठ नागरिक कार्ड)। • आधार से जुड़ी बैंक पासबुक। • आय प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)।	• न्यूनतम 40% दिव्यांगता। • आवेदक कम से कम पिछले 3 वर्षों से यू. टी., चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए। •आवेदक की पारिवारिक आय सभी संसाधनों से 1.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	• रु. 1,000/- प्रति माह प्रति लाभार्थी (दिव्यांगता 40-70%) और • ₹ 2,000/- प्रति माह प्रति लाभार्थी दिव्यांगता 70% से अधिक।

संपर्क केन्द्रों पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

क्रमांक	योजना	आवश्यक दस्तावेज़	पात्रता मापदंड	वित्तीय सहायता
2.	दिव्यांग व्यक्तियों को पेट्रोल/डीजल पर सब्सिडी (दिव्यांगजन) Subsidy on Petrol/ Diesel to Persons with Disabilities (Divyangjan)	• विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) • दो पासपोर्ट साइज फोटो • यू.टी., चंडीगढ़ का तीन साल का निवास प्रमाण पत्र (चुनाव आयोग फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, मकान आवंटन पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफ़ोन लैंडलाइन बिल) • आधार कार्ड • आधार से जुड़ी बैंक पासबुक • आय प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) • ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र	• न्यूनतम 40% दिव्यांगता। • आवेदक कम से कम पिछले 3 वर्षों से यू. टी., चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए। • दिव्यांग व्यक्ति जो मोटर चालित वाहनों के मालिक हैं और उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, वे अधिकतम 20 लीटर तक पेट्रोल/ डीजल की खरीद पर वास्तविक व्यय पर 50% सब्सिडी के हकदार हैं। • आवेदक की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 1.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	•40 लीटर पेट्रोल / डीजल की कीमत का 50% प्रति माह

क्रमांक	योजना	आवश्यक दस्तावेज़	पात्रता मापदंड	वित्तीय सहायता
3	दिव्यांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता (दिव्यांगजन) Unemployment allowance to Persons with Disabilities (Divyanjan)	• विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) • दो पासपोर्ट साइज फोटो • यू.टी., चंडीगढ़ का तीन साल का निवास प्रमाण पत्र (चुनाव आयोग फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, मकान आवंटन पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफ़ोन लैंडलाइन बिल) • आधार कार्ड • रोजगार पंजीकरण कार्ड (रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होने के दो साल बाद) • आधार से जुड़ी बैंक पासबुक • आय प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)	• न्यूनतम 40% दिव्यांगता। • आवेदक कम से कम पिछले 3 वर्षों से यू. टी., चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए। • बेरोजगार दिव्यांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता जिनकी आयु 18-30 वर्ष के बीच है। • आवेदक की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 1.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	• रु. 500/- प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अलावा।
4	सहायक उपकरणों की खरीद के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता	• विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) • दो पासपोर्ट साइज फोटो। • यू.टी., चंडीगढ़ का तीन साल का निवास प्रमाण पत्र (चुनाव आयोग फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, मकान आवंटन पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफ़ोन लैंडलाइन बिल)	• न्यूनतम 40% दिव्यांगता। • आवेदक कम से कम पिछले 3 वर्षों से यू.टी., चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए।	• आवेदक कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण की खरीद पर कुल लागत, अधिकतम ₹ 40,000/- के अधीन पाने का हकदार है।

क्रमांक	योजना	आवश्यक दस्तावेज़	पात्रता मापदंड	वित्तीय सहायता
	Assistance to Persons with Disabilities for Purchase of Aids/ Appliances	• आधार कार्ड। • आधार से जुड़ी बैंक पासबुक। • आय प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)। • ड्राइविंग लाइसेंस (वाहन खरीदने के मामले में)।	• आवेदक की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 1.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
5	एन.डी.एफ.डी.सी. योजनाओं के तहत दिव्यांगजनों को बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण। **Loan for Divyangjans under N.D.F.D.C. Schemes**	• निवास प्रमाण पत्र (मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/बिजली बिल आदि)। • आधार कार्ड की फोटोकॉपी। • यू.डी.आई.डी. कार्ड की फोटोकॉपी। • 50,000/- रुपये से अधिक की ऋण राशि के लिए सरकारी कर्मचारी की जमानत आवश्यक है। • आवेदक की चार पासपोर्ट आकार की तस्वीरें। • एक पूर्ण लंबाई की तस्वीर। • पोस्ट डेटेड बैंक चेक। • संबंधित बैंक से एन.ओ.सी.। • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।	• परिवार का केवल एक सदस्य ऋण प्राप्त कर सकता है। • आवेदक यू.टी. चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए। • विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।	4% से 9% तक की ब्याज दर पर अधिकतम ₹ 50,00,000/- तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

क्रमांक	योजना	आवश्यक दस्तावेज़	सहायता
6	सहायक यंत्रों/ उपकरणों की खरीद/ फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप योजना) Assistance to persons with disabilities for purchase of Aids/ Appliances	• किसी भी आयु का भारतीय नागरिक। • यू.डी.आई.डी. कार्ड (UDID Card) या यू.डी.आई.डी. कार्ड का पंजीकरण संख्या, साथ में न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाणपत्र। • आधार संख्या या आधार कार्ड का पंजीकरण आई.डी.। • सभी स्रोतों से व्यक्तिगत मासिक आय ₹ 30,000/- प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। • पिछले 3 वर्षों में किसी भी स्रोत से उसी उद्देश्य के लिए सहायता प्राप्त न की हो। हालांकि, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, ऑर्थोसिस/प्रोस्थेसिस, शिक्षण सामग्री आदि जैसे कस्टमाइज्ड सामान के लिए सहायता प्राप्त करने की न्यूनतम अवधि एक वर्ष है। मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, मोटराइज्ड व्हीलचेयर और स्मार्टफोन के लिए यह अवधि पाँच वर्ष है।	विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के अनुसार, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, कृत्रिम अंग, कैलिपर्स, ब्रेल किट, स्मार्ट केन, बैसाखी आदि सहायक उपकरण एक सामूहिक शिविर के दौरान विशेषज्ञों की टीम द्वारा दिव्यांगजनों के आकलन के बाद निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं।

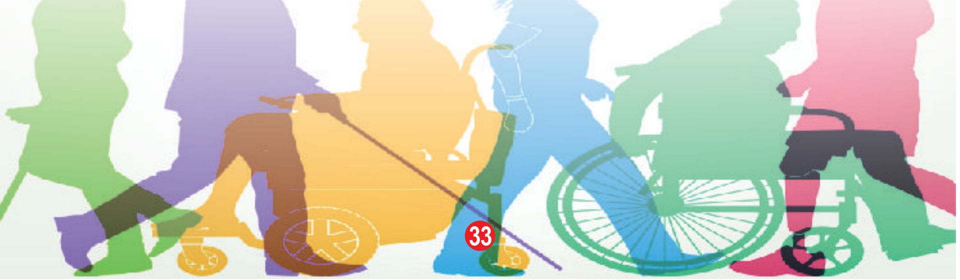

क्रमांक	योजना	संक्षिप्त	उद्देश्य	पात्रता मापदंड	आवश्यक दस्तावेज़	प्रदान किये जाने वाले लाभ
7	विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID)	विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र प्रत्येक दिव्यांगजन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म https://www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है। यू.डी.आई.डी परियोजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सरकारी लाभ प्रदान करने में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता को प्रोत्साहित करना और इसमें एकरूपता सुनिश्चित करना है।	दिव्यांग व्यक्तियों (पी.डब्ल्यू.डी.) के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, ताकि उन्हें विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान किया जा सके, जिसे बनाए रखना और ले जाना आसान हो।	आर.पी.डब्ल्यू.डी. (RPwD) (संशोधन) नियम, 2024 के अनुसार 21 दिव्यांगताएं	• आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आदि) • निवास का प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि) • मेडिकल बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी से दिव्यांगता प्रमाण पत्र • एक रंगीन फोटो • **आधार नंबर (अनिवार्य)**	योजना के पात्रता मानदंड के अनुसार यू.डी.आई.डी. (UDID) कार्ड के आधार पर दिव्यांगजनों को राज्य और केंद्र विशिष्ट योजनाओं के तहत लाभ प्रदान किया जाता है।

यू.डी.आई.डी. के लिए आवेदन कैसे करें

- यू.डी.आई.डी. के लिए **https://www.swavlambancard.gov.in** पर आवेदन करें या संपर्क केंद्र/ समाज कल्याण विभाग /अस्पताल में जाएं। अस्थायी यू.डी.आई.डी. कार्ड जारी होने के मामले में, दिव्यांगजन को अपने यू.डी.आई.डी. कार्ड के नवीनीकरण के लिए संबंधित अस्पताल मैं जाना होगा।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद यू.डी.आई.डी. नामांकन संख्या उत्पन्न की जाएगी और उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाएगा ।
- अस्पताल में आवेदक के चिकित्सा मूल्यांकन और सत्यापन के बाद यू.डी.आई.डी. कार्ड ऑनलाइन तैयार किया जाएगा ।
- यू.डी.आई.डी. कार्ड दिव्यांगजन को आवासीय पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है। ई-यू.डी.आई.डी. कार्ड पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।
- यू.डी.आई.डी. नामांकन/यू.डी.आई.डी. कार्ड नंबर/मोबाइल नंबर/आधार नंबर दर्ज करके आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांची जा सकती है।

"Sample UDID card"

कार्यान्वयन एजेंसी / विभाग / अस्पताल

- ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल https://www.swavlambancard.gov.in
- समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन
- मूल्यांकन के लिए नामित अस्पताल

क्रम संख्या	अस्पताल का नाम	मूल्यांकन के लिए दिन
1	Govt. Multi-Specialty Hospital Sector 16, Chandigarh, Medical Branch, Near SBI ATM	बुधवार और गुरुवार 9:00 AM to 1:00 PM
2	Govt. Medical College & Hospital, Sector 32, Chandigarh, Room No. 315, 3rd Floor, Block-D	सोमवार से शुक्रवार 9:00 AM to 5:00 PM
3	Govt. Rehabilitation Institute for Intellectual Disabilities, Sector 31, Chandigarh, Room No. 1, 2nd floor, MRD Department	सोमवार से शनिवार 9:00 AM to 3:00 PM (दूसरे शनिवार को छुट्टी)
4	Postgraduate Institute of Medical Education & Research, Sector 12, Chandigarh, Room No. 1, 2nd floor, MRD Department, Nehru Hospital	सोमवार से शुक्रवार 9:00 AM to 5:00 PM

सम्पर्क करने का विवरण

Helpline No.: 181, Mob: 99150-23456, Office No. 0172-2700062, 2700372,
Email Id – Socialwelfarechd@rediffmail.com

अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन

Call Toll-Free **14566**

National Toll Free Helpline for Prevention of Atrocities on Members of SCs and STs

संपर्क करें:

जब किसी भी अन्य जाति के व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति / व्यक्तियों पर अत्याचार हो जैसे :-

- शारीरिक अथवा मानसिक अत्याचार ।
- धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक स्थलों में प्रवेश करने पर रोक ।
- मतदान करने व नामांकन दाखिल करने से रोक ।
- हत्या, नरसंहार, बलात्कार या छुआ-छूत के शिकार होने पर ।

सेवायें :

- पी.सी.आर. अधिनियम 1955, पी.ओ.ए. अधिनियम 1989 और संशोधन अधिनियम 2015 के बारे में जानकारी प्रदान करना व जागरूकता फैलाना।
- पुलिस थाने में शिकायत/प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करवाने में सहयोग करना।
- परामर्श एंव कानूनी सहायता प्रदान करवाना।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

एडीशनल टाउन हॉल बील्डिंग, तीसरी मंजिल, सैक्टर 17-सी, चण्डीगढ़

वेबसाइटः http://nhapoa.gov.in

अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

क्रमांक	योजना	आवश्यक दस्तावेज़	पात्रता मापदंड	वित्तीय सहायता
1	अनुसूचित जातियों के लिए एन.एस.एफ.डी.सी. की ऋण योजनाएँ। • लघु व्यवसाय/ कारीगर/ पारंपरिक व्यवसाय के लिए ऋण • भारत और विदेश में शिक्षा के लिए ऋण • ऑटो रिक्शा / व्यावसायिक वाहन के लिए ऋण **NSFDC Schemes for Scheduled Castes**	• दो पासपोर्ट साइज फोटो। • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति। • यू.टी. चंडीगढ़ के पिछले 2 वर्षों के निवास का प्रमाण (स्वयं सत्यापित)। • वार्षिक पारिवारिक आय के प्रमाण के संबंध में स्व-घोषणा। • आधार कार्ड और आधार से जुड़े बैंक खाते की स्वयं सत्यापित प्रति।	• आवेदक चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति के रूप में घोषित जाति में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए। • वह पिछले 2 वर्षों से चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए। • ऑटो रिक्शा / वाणिज्यिक वाहन के लिए ऋण के मामले में, उसके पास चंडीगढ़ के एस.टी.ए. से अनुमति और वैध / उचित ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। • आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 3,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। • योग्यता पर कोई रोक नहीं। • आयु 18-55 वर्ष के बीच।	• व्यवसाय के लिए ₹ 10,000/- से लेकर ₹ 15,00,000/- तक का ऋण प्रदान किया जाता है। • शिक्षा के लिए ₹ 30,00,000/- तक का ऋण प्रदान किया जाता है। • ब्याज दर 4-6% प्रति वर्ष होगी। • ऋण को तीन साल से पांच साल के भीतर समान मासिक किस्तों में चुकाया जाना है।

क्रमांक	योजना	आवश्यक दस्तावेज़	पात्रता मापदंड	वित्तीय सहायता
2	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की ऋण योजनाएँ। • लघु व्यवसाय/ कारीगर/ पारंपरिक व्यवसाय के लिए ऋण • भारत और विदेश में शिक्षा के लिए ऋण • ऑटो रिक्शा / व्यावसायिक वाहन के लिए ऋण **NBCFDC Schemes for Other Backward Classes**	• 2 पासपोर्ट साइज फोटो। • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओ.बी.सी. प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति । • यू.टी. चंडीगढ़ के पिछले 2 वर्षों के निवासी होने का प्रमाण (स्व-सत्यापित)। • वार्षिक पारिवारिक आय के प्रमाण के संबंध में स्व-घोषणा। • आधार कार्ड और आधार से जुड़े बैंक खाते की स्व-सत्यापित प्रति।	• आवेदक चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा ओ.बी.सी. के रूप में घोषित किसी भी जाति से संबंधित होना चाहिए। • वह पिछले 2 वर्षों से चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए। • ऑटोरिक्शा/कमर्शियल वाहन के लिए ऋण के मामले में, उस के पास एस.टी.ए., चंडीगढ़ से अनुमति और वैध /उचित ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। • आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए ₹ 3,00,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। • योग्यता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। • आयु 18-55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।	• व्यवसाय के लिए ₹ 10,000/- से लेकर ₹ 15,00,000/- तक का ऋण प्रदान किया जाता है। • शिक्षा के लिए ₹ 15,00,000/- तक का ऋण प्रदान किया जाता है। • ब्याज दर 4-6% प्रति वर्ष होगी। • ऋण को तीन साल से पांच साल के भीतर समान मासिक किस्तों में चुकाया जाना है।

क्रमांक	योजना	आवश्यक दस्तावेज़	पात्रता मापदंड	वित्तीय सहायता
3	अल्पसंख्यकों के लिए एन.एम.डी.एफ.सी. की ऋण योजनाएँ। • लघु व्यवसाय/ कारीगर/ पारंपरिक व्यवसाय के लिए ऋण • भारत और विदेश में शिक्षा के लिए ऋण • ऑटो रिक्शा / व्यावसायिक वाहन के लिए ऋण **NMDFC Schemes for Minorities**	• दो पासपोर्ट साइज फोटो। • अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन) के प्रमाण के संबंध में स्व-घोषणा। • यूटी चंडीगढ़ के पिछले 2 वर्षों के निवास का प्रमाण (स्वयं सत्यापित)। • वार्षिक पारिवारिक आय के प्रमाण के संबंध में स्व-घोषणा।	• आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय क्रेडिट लाइन-I में ₹ 3,00,000/- प्रति वर्ष और क्रेडिट-II के तहत ₹ 8,00,000/- तक होनी चाहिए। • आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन) से संबंधित होना चाहिए। • वह पिछले 2 वर्षों से चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए। • ऑटो रिक्शा / वाणिज्यिक वाहन के लिए ऋण के मामले में, उसे एस.टी.ए., चंडीगढ़ से अनुमति लेनी चाहिए और उसके पास वैध / उचित ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। • योग्यता पर कोई रोक नहीं। • आयु सीमा 18-55 वर्ष।	• व्यवसाय के लिए ₹ 10,000/- से लेकर ₹ 15,00,000/- तक का ऋण प्रदान किया जाता है। • शिक्षा के लिए ₹ 20,00,000/- तक का ऋण प्रदान किया जाता है। • ब्याज दर 6-8% प्रति वर्ष होगी। • ऋण को तीन साल से पांच साल के भीतर समान मासिक किस्तों में चुकाया जाना है।

क्रमांक	योजना	आवश्यक दस्तावेज़	पात्रता मापदंड	वित्तीय सहायता
4	सफाई कर्मचारियों के लिए एन.एस.के.एफ.डी.सी. की ऋण योजनाएँ। • लघु व्यवसाय/ कारीगर/ पारंपरिक व्यवसाय के लिए ऋण • भारत और विदेश में शिक्षा के लिए ऋण • ऑटो रिक्शा / व्यावसायिक वाहन के लिए ऋण **NSKFDC Schemes for Safai-Karamcharies**	• 2 पासपोर्ट साइज फोटो। • सफाई कर्मचारी या उनके आश्रितों के होने के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति। • आवेदक यू.टी. चंडीगढ़ के पिछले 2 वर्षों के निवासी होने का प्रमाण (स्व-सत्यापित)। • आधार कार्ड और आधार से जुड़े बैंक खाते की स्व-सत्यापित प्रति।	• आवेदक सफाई कर्मचारी परिवार से संबंधित होना चाहिए। • वह पिछले 2 वर्षों से चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए। • ऑटोरिक्शा/ कमर्शियल वाहन के लिए ऋण के मामले में उसके पास चंडीगढ़ के एस.टी.ए. से अनुमति और वैध / उचित ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। • इस योजना के तहत आय सीमा में कोई वृद्धि नहीं की गई है। • शैक्षिक योग्यता पर कोई रोक नहीं है। • आयु 18-55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।	• व्यवसाय के लिए ₹ 10,000/- से लेकर ₹ 15,00,000/- तक का ऋण प्रदान किया जाता है। • शिक्षा के लिए ₹ 10,00,000/- तक का ऋण प्रदान किया जाता है। • 4-6% वार्षिक ब्याज • ऋण को तीन साल से पांच साल के भीतर समान मासिक किस्तों में चुकाया जाना है।
5	सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए नकद पुरस्कार	• आवेदक के माता-पिता अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होने चाहिए। • आवेदक का यू.टी. चंडीगढ़ के पिछले 3 वर्षों के निवासी होने का प्रमाण (स्व-सत्यापित)। • बच्चे को पहले प्रयास में 50% या उससे अधिक अंकों के साथ 10वीं या 12वीं	• आवेदक के माता-पिता में से कोई एक या दोनों चंडीगढ़ प्रशासन के विभाग/ बोर्ड/ निगम/ अन्य सरकारी/निजी क्षेत्रों में नियमित/अस्थायी/	₹ 30,000/-

क्रमांक	योजना	आवश्यक दस्तावेज़	पात्रता मापदंड	वित्तीय सहायता
	Cash Award Scheme for the Children of Safai Karamcharies	कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। • 10वीं या 12वीं अंक प्रमाण पत्र की प्रति। • जन्म प्रमाण पत्र की प्रति। • आवेदक ने किसी भी सरकारी/ व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान/ महा विद्यालय में उच्च कक्षा/ पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो।	• दैनिक वेतन पर/डी.सी. दरों पर/आउटसोर्स पर सफाई कर्मचारी होने चाहिए या ठेकेदार या निजी सफाई कर्मचारियों के माध्यम से। • माता-पिता की कुल वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 2,50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। • योजना के तहत लाभ के लिए आवेदक को अपेक्षित दस्तावेजी प्रमाण जैसे कि : (I) उस विभाग से नियुक्ति प्रमाण पत्र जहां उसके माता-पिता कार्यरत हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखाएं कि उसके माता-पिता चंडीगढ़ प्रशासन / अन्य सरकार के कार्यालय / बोर्ड / निजी क्षेत्र /निगम में सफाई कर्मचारी के रूप में कम से कम पिछले एक वर्ष से कार्यरत हो। • जिन बच्चों ने मैट्रिक या उच्च माध्यमिक स्तर में अच्छा प्रदर्शन किया हो उन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना ।	

क्रमांक	योजना	आवश्यक दस्तावेज़	पात्रता मापदंड	वित्तीय सहायता
6	अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन। **Encouragement to Inter-Caste Marriage**	• अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की प्रति। • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति। • तीन साल का निवास प्रमाण (वोटर कार्ड/राशन कार्ड या बिजली बिल,आधार कार्ड, हाउस अलॉटमेंट लेटर) की प्रति। • पति और पत्नी का जन्म तिथि प्रमाण पत्र की प्रति। • विवाह की 2 पोस्टकार्ड आकार की तस्वीर। • पति व पत्नी का आधार कार्ड की प्रति। • पति और पत्नी की शपथ पत्र। • पति व पत्नी के नाम पर पंजाब एंड सिंध बैंक में सेक्टर 17 में संयुक्त खाता। (पत्नी का नाम खाते में पहले होना चाहिए)	• पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति के परिवार से होना चाहिए। • कानून के अनुसार शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष व लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। • केवल पहली शादी के लिए।	• रु. 2,50,000/- केवल एक बार । (एफ.डी. के रूप में) • राशि 3 साल के लिए संयुक्त एफ.डी. के रूप में लॉक-इन रहेगी।
7	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना **Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana (PM-AJAY)**	• अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे की रिटेल सेल्स कौशल, बहु कौशल तकनीशियन, कंप्यूटर और अन्य में प्रदान किये जातें हैं। योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन को अपेक्षित दस्तावेजी प्रमाण जैसे कि : • आवेदक पिछले 02 वर्षों से चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए। • वह अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए। • उसकी वार्षिक पारिवारिक आय रुपये 03 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।		

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

एडीशनल टाउन हॉल बील्डिंग, तीसरी मंजिल, सैक्टर 17-सी, चण्डीगढ़

ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड चंडीगढ़ (ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल)

ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन
TRANSGENDER HELPLINE

Call 9915023456

सम्पर्क करें:

- जब कोई भी ट्रांसजेंडर सुरक्षा की जरूरत महसूस करे।
- जब तनाव महसूस करे।
- यदि घरेलू हिंसा एवं दुर्व्यवहार से पीड़ित हो।
- यदि छेड़छाड़ का शिकार हो।
- यदि ट्रांसजेंडर यौन शोषण की शिकार हो।
- यदि पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने में सहायता चाहते हो।

सेवाएँ:

- अलग शौचालय का प्रावधान ।
- फीस माफ ।
- छात्रावास आदि में कन्सेशनल भोजन का प्रावधान।

TRANSGENDER WELFARE BOARD
Near Vatika School, Sector 19B, Chandigarh
Phone : 0172 - 2700372

अन्य सेवाएें जो ट्रांसजेंडर से सम्बंधित हो:

- परामर्श सेवाएं।
- ट्रांसजेंडर से सम्बंधित सरकारी कार्यक्रमों/ योजनाओं एवं सेवाओं पर जानकारी।

नशा मुक्त भारत अभियान

NASHA MUKT BHARAT ABHIYAN

राष्ट्रीय हेल्पलाइन नं. 14446

नशा मुक्त चंडीगढ़

नशे से दूर रहो

नशा मुक्त केंद्र

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, सेक्टर 12, चंडीगढ़ संपर्क करें: 0172-2756818	आर्य अस्पताल न्यूरोसाइकिएट्री एवं नशा मुक्ति केंद्र, एस.सी.ओ. 801, एन.ए.सी., मनीमाजरा, चंडीगढ़, संपर्क करें: 0172-4122863, 9646069966
सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सेक्टर 32, चंडीगढ़ संपर्क करें: 9514771745	युवा एवं जनसमुदाय संवर्धन सोसायटी, सेक्टर 18, चंडीगढ़ संपर्क करें: 0172-2703872, 9779910287

फेथ हॉस्पिटल - मनोरोग सेवाएं, #1184, सेक्टर 21बी, सेक्टर 21, चंडीगढ़
संपर्क करें: 099150 94006

शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन
1800-11-0031

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय भारत सरकार संपर्क/ व्हाट्सएप नंबर
+91 9417773344

एंटी ड्रग पुलिस विभाग व्हाट्सएप नंबर
+91 7087239010

नशीले पदार्थों को ना कहें, जीवन को हाँ कहें

संस्थाओ के महत्वपूर्ण संपर्क विवरण

क्रमांक	पदनाम	पता	संपर्क नंबर
विशेष किशोर पुलिस इकाई, चंडीगढ़			
1	नोडल अधिकारी-सह-जिला प्रमुख विशेष किशोर पुलिस इकाई	सेक्टर - 9, चंडीगढ़	0172-2760001
2	केंद्रीय नोडल अधिकारी, एसजेपीयू	महिला एवं बाल सहायता इकाई, होम गार्ड बिल्डिंग, सेक्टर 17, चंडीगढ़	0172-2922163
3	विशेष किशोर पुलिस इकाई, दक्षिण	पुलिस स्टेशन - 34, चंडीगढ़	0172-2676000
4	विशेष किशोर पुलिस इकाई, दक्षिण/पश्चिम	पुलिस स्टेशन - 34, चंडीगढ़	0172-2993538
5	विशेष किशोर पुलिस इकाई, मध्य	पुलिस स्टेशन -17, चंडीगढ़	0172-2971133
6	विशेष किशोर पुलिस इकाई, पूर्व	पुलिस स्टेशन - 26, चंडीगढ़	0172-2750001
7	विशेष किशोर पुलिस इकाई, उत्तर-पूर्व	पुलिस स्टेशन - 26, चंडीगढ़	0172-2993526
किशोर न्याय बोर्ड, चंडीगढ़			
8	प्रधान मजिस्ट्रेट एवं सदस्य	सेक्टर-25, चंडीगढ़	0172-2720106
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़			
9	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	एडीआर बिल्डिंग, जिला न्यायालय, सेक्टर 43 चंडीगढ़	0172-2972223

क्रमांक	पदनाम	पता	संपर्क नंबर
जिला बाल संरक्षण इकाई, चंडीगढ़			
10	जिला बाल संरक्षण अधिकारी, विधिक-सह-परिवीक्षा अधिकारी	स्नेहालय बिल्डिंग, पहली मंजिल, मलोया, चंडीगढ़	0172-2643654
बाल कल्याण समिति, चंडीगढ़			
11	अध्यक्ष एवं सदस्य	ग्राउंड फ्लोर, स्नेहालय फॉर बॉयज़, मलोया, चंडीगढ़	0172-2617033
स्नेहालय फॉर बॉयज़, मलोया			
12	अधीक्षक	स्नेहालय बिल्डिंग, मलोया, चंडीगढ़	0172-2617039
स्नेहालय फॉर गर्ल्स और स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी, सेक्टर-15, चंडीगढ़			
13	अधीक्षक	सेक्टर 15, चंडीगढ़ चितकारा इंटरनेशनल स्कूल के पास,	0172-2715015
निरीक्षण गृह/विशेष गृह/सुरक्षा स्थान (लड़कों के लिए)			
14	अधीक्षक एवं परिवीक्षा अधिकारी		0172-2727025
निरीक्षण गृह/विशेष गृह/सुरक्षा स्थान (लड़कियों के लिए)			
15	अधीक्षक	नारी निकेतन बिल्डिंग, सेक्टर 26, चंडीगढ़	0172-2727025

क्रमांक	संस्था का नाम	पदनाम	संपर्क नंबर
चाइल्ड हेल्पलाइन			
16	चाइल्ड हेल्पलाइन	एडीशनल टाउन हॉल बील्डिंग, तीसरी मंजिल, सैक्टर 17-सी, चण्डीगढ़	1098
17	यूनियन टेरिटरी चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी	सेक्टर 19बी , चंडीगढ़	0172-2548000
18	महिला हेल्पलाइन टाउन हॉल बिल्डिंग, सेक्टर 17-सी, चंडीगढ़	हेल्पलाइन प्रशासक महिला हेल्पलाइन	0172-2700027
19	आशा किरण -वीटीसी, सेक्टर-46डी, चंडीगढ़	रेजिडेंट मैनेजर	0172-2678018
20	सखी निवास, वर्किंग वूमेन हॉस्टल, सेक्टर-24, चंडीगढ़	मैनेजर	0172-2710328
21	सीनियर सिटीजन होम, सेक्टर-43, चंडीगढ़	रेजिडेंट मैनेजर	0172-2676117
22	सखी -वन स्टॉप सेंटर, नारी-निकेतन, सेक्टर-25, चंडीगढ़	केंद्रीय प्रशासक	0172-2793026
23	बाल भवन, सेक्टर 23, चंडीगढ़	आयोजन सचिव,	0172-2721858

क्रमांक	संस्था का नाम	पदनाम	संपर्क नंबर
24	प्रयास, सेक्टर 38, चंडीगढ़	प्रशासनिक अधिकारी, आर.सी.एस.सी.,	0172-2690872
25	शक्ति सदन नारी-निकेतन, सेक्टर-26, चंडीगढ़	रेजिडेंट अधीक्षक	0172-2750003
26	सखी निवास वर्किंग वूमेन हॉस्टल सेक्टर-23	वार्डन	9855306188
27	वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन टाउन हॉल बिल्डिंग, सेक्टर 17सी, चंडीगढ़	परियोजना प्रबंधक	TOLL FREE HELPLINE : 14567
28	वरिष्ठ नागरिकों गृह, सेक्टर 15, चंडीगढ़	प्रभारी	0172-2770021
29	वरिष्ठ नागरिकों गृह, सेक्टर 43, चंडीगढ़	प्रभारी	0172-2626117
30	वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे-केयर सेंटर, सेक्टर 46, चंडीगढ़	प्रभारी	0172-2678018
31	सशक्तिकरण केंद्र सेक्टर 46, चंडीगढ़	प्रभारी	9463915229
32	आफ्टर केयर होम फॉर बॉयज, सेक्टर 46, चंडीगढ़	प्रभारी	0172-2678018
33	आफ्टर केयर होम फॉर गर्ल्स, सेक्टर 26, चंडीगढ़	प्रभारी	0172-2750003

आयोग का विवरण		
क्रमांक	आयोग का नाम	संपर्क नंबर
1	चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सी.सी.पी.सी.आर.) प्रथम तल, प्रशासन ब्लॉक, स्नेहालय, ग्राम मलोया, चंडीगढ़-160025,	0172-2617031 0172-2617032 chairpersonccpcr@gmail.com
2	राज्य दिव्यांगजन आयुक्त प्रथम मंजिल, C विंग, नगर योग भवन, मध्य मार्ग, सेक्टर 18-C, चंडीगढ़	097790 57389 scpdchd@gmail.com

अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर जाएँ :

https://chdsw.gov.in/

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, चण्डीगढ़ प्रशासन

एडीशनल टाउन हॉल बील्डिंग, तीसरी मंजिल, सैक्टर 17-सी, चण्डीगढ़

फोन नं. 0172-2700372, ई-मेल : socialwelfarechd@rediffmail.com